



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268631
CG-DL-E-19122025-268631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5674]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 5674]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5870(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3544(अ). तारीख 28 जुलाई, 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र सं. 3460, भाग – II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 31 जुलाई, 2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील-सोजत, जिला-पाली, राज्य -राजस्थान में बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 08.08.2025 उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
तहसील – सोजत		जिला – पाली	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	राजोला कलां	648	00	59	85

[फा. सं. आर-11029/33/2022-ओआर-1/ई-42962]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2025

S.O. 5870(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Extraordinary Gazette of India no. 3460, Part-II, section-3, sub-section (ii) dated 31st July 2025 vide S.O. No. 3544(E) dated the 28th July, 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying of Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsil-Sojat of Pali District in State of Rajasthan**. For transportation of crude oil.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public by 08.08.2025 And whereas, under sub-section (1) of section 6 of the said Act the Competent Authority has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Tehsil:- Sojat		District:- Pali	State:- Rajasthan		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	RAJOLA KALAN	648	00	59	85

[F. No. R-11029/33/2022-OR-I/E-42962]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under secy.